SHRI P.G. NARAYANAN: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister: how many sick textile mills are there under the N.T.C. mills and how many mills are identified under B.I.F.R. for revival in Tamil Nadu? And, how many mills have so far been fully revived and the number of mills declared unviable in Tamil Nadu?

MR. CHAIRMAN: The question is limited only to Andhra Pradesh.

SHRI P.G. NARAYANAN: No, Sir. It is also relating to Tamil Nadu—Madras.

MR. CHAIRMAN: Are you putting supplementary on behalf of the entire country?

SHRI P.G. NARAYANAN: No, Sir. But, I want to know about the points that have been raised by me.

श्री बसनगौड़ा आर॰ पाटील: सभापति जी, पूरे देश में एनटीसी की 119 मिलें हैं, उसमें से 66 मिलों को बीआईएफआर ने अनवाइबल घोषित किया है और 53 मिल वाइबल घोषित की हैं।

Royalty given to States

*251. SHRI THANGA TAMIL SELVAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the quantum of royalty given to the States for mining of coal and lignite separately;

(b) the balance of royalty due to be paid to Tamil Nadu for mining lignite at Neyveli; and

(c) when the royalty for lignite was last revised?

THE MINISTER OF COAL (SHRI KARIYA MUNDA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The quantum of royalty given to the States by Coal India Limited (CIL), Singareni Collieries Company Limited (SCCL) and Neyveli Lignite Corporation (NLC) for mining coal and lignite separately in the year 2002-2003 was Rs. 2520.87 crore & Rs.93.12 crore respectively.

(b) As on date, there is no balance of royalty due to be paid to Tamil Nadu for mining lignite at Neyveli.

(c) The royalty for lignite was last revised on 15.3.2001.

SHRI THANGA TAMIL SELVAN: Mr. Chairman, Sir, the royalty for lignite mined at Neyveli was revised to Rs. 50 per ton in the year 1991. So, for Rs.635.5 crore due to be paid to Tamilnadu, as royalty has not been paid. Though the hon. Chief Minister of Tamilnadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma has written to the Centre several time, the royalty has not been paid. I would like to know from the hon. Minister the reason for delaying the payment.

श्री कड़िया मुंडा: सभापति महोदय, लिग्नाइट के संबंध में पहली बार रायल्टी देने का निर्णय वर्ष 1990 में हुआ और उसके बाद इसके अलग अलग रेट हैं। वर्ष 2001 में इसको 50/- रुपए प्रति टन के मूल्य के हिसाब से तय किया गया है और इसका निर्धारण का तरीका यह है कि जो हमारा ग्रेड है लिग्नाइट का वह ग्रेड एफ और जी का है और उस हिसाब से इसका रेट तय होता है। आगे इसी तरह ग्रेड में कोयले के रेट हैं। जहां तक रायल्टी देने का प्रश्न है, इस ग्रेड से दिया गया है और अभी तत्काल इसमें रायल्टी बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

*SHRI THANGA TAMIL SELVAN: Mr. Chairman, Sir, royalty for the lignite mined at Neyveli is given every year. But the D.M.K. Government during its last tenure, had taken royalty in advance for three years, that is from 2001 to 2003. That had plunged the State of Tamilnadu into financial crisis. Keeping in mind the financial difficulties of Tamilnadu.

श्री कड़िया मुंडा: सभापति महोदय, हमने तमिलनाडु को रायल्टी के रेट की अग्रिम राशि दी है और वह अग्रिम राशि 250 करोड़ है। वर्ष 2003-2004 में जून तक जितनी अग्रिम राशि को एडजस्ट करके आगे बढ़ाने की बात थी उसमें अभी तक तमिलनाडु सरकार के पास रायल्टी का 34 करोड़ 78 लाख रुपया शेष है और इसलिए उनको और अभी रायल्टी देने का हमारे पास बकाया नहीं है।

श्री सुरेश पचौरी: सभापति महोदय, प्रश्न का "क" भाग है कि *कोयले और लिग्नाइट के खनन के लिए राज्यों को अलग-अलग कितनी रॉयल्टी दी गई?* इसमें किस-किस राज्य को कितनी रॉयल्टी दी गई है, उत्तर में इसका जिक्र नहीं है। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जैसा कि प्रावधान है कि कोयला खनन की रॉयल्टी प्रत्येक तीन वर्षों में पुनरीक्षित की जानी चाहिए? 1994 के बाद मध्य प्रदेश में 2002 में कोयले की रॉयल्टी का पुनरीक्षण हुआ और इतने लम्बे समय तक जो पुनरीक्षण नहीं हुआ, उसके कारण मध्य प्रदेश को 618 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यदि कोयला रॉयल्टी की दर का न हो और

*English translation of the questions asked in Tamil.

उससे किसी राज्य को नुकसान हो तो उसकी क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार को 618 करोड़ रुपए का कोयले का रॉयल्टी का पुनरीक्षण न करने से जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी? यदि नहीं करेगी तो उसका क्या कारण है?

श्री कड़िया मुंडा: सभापति महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि 2002 में रॉयल्टी का संशोधन हुआ है और उसके तीन साल के बाद हम फिर से संशोधन करते हैं। अब यह संशोधन करने का समय 2005 में आएगा।

श्री सुरेश पचौरी: सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। 1994 के बाद प्रति तीन वर्ष में कोयले की रॉयल्टी का पुनरीक्षण होना चाहिए था। मंत्री जी, आप खुद एक प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। 1994 के बाद कोयले की रॉयल्टी का पुनरीक्षण नहीं हुआ, जो 1997 में होना था। स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह 2002 में हुआ। उससे जो मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ 618 करोड़ रुपए का, क्या उसकी क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी? मेरा सीधा प्रश्न यह है कि जिसका उत्तर नहीं मिला।

श्री कड़िया मुंडा: सभापति महोदय, रॉयल्टी की दर को तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। जो यह बीच में नहीं हुआ, इसके कई कारण हैं, अगर पढ़कर सुनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं माननीय सदस्य को लिखकर भेज दूंगा।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, यह सरासर मध्य प्रदेश के साथ अन्याय है। हमें कृपा करके आपका संरक्षण चाहिए।

श्री सुरेश पचौरी: उत्तर ही नहीं आ रहा है।

श्री सभापति: इस अन्याय के बारे में आप दोनों एक साथ खड़े हो गए हैं।

श्री सुरेश पचौरी: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार कर लिया है कि प्रति तीन वर्ष जो पुनरीक्षण होना चाहिए था वह नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसान हुआ है क्या उसकी क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी? इसका उत्तर अगर वे अभी नहीं दे सकते हैं तो लिखकर भेजें।

श्री सभापति: ठीक है, आप वह पोजीशन बता दीजिएगा इन्हें। नैक्सट क्वेश्चन।

*252. *[The Questioners Sardar Gurcharan Singh Tohra and Shri Sukhdev Singh Libra were absent. For Answer vide pages 41-42.]*

गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं

*253. **डा॰ कुमकुम राय:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिजली उत्पादन से जुड़ी कितनी परियोजनाएं गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रही हैं और क्या इन परियोजनाओं का कार्य निष्पादन सरकार की उम्मीदों के अनुसार नहीं हुआ है;